



न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

सुनिता देवी

बनाम रितवा पाहन उर्फ रितवा मुण्डा

क्र०/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
23-02-18	<p>अगिलेख सं०-एम.....10...../2018 धारा-107 द०प्र०सं० थाना प्रगारी बुण्डू के अप्राथमिकी सं०-01/18 दिनांक-03-02-18 प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि <u>धान लगे खेत में जल चले जाने तथा धान खाने की लैका / बुण्डू थाना काण्ड सं० 67/17 दिनांक 22/10/17 एप 341/323/306/नां० व० कि उमय पत्र में विवाद ।</u></p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति गंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उमय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेगे जिससे परिशांति गंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उमय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उमय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रु० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अगिलेख तिथि <u>16-03-18</u> को उपस्थापित करें।</p> <p>लेखापित एवं संश्लेषित</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। </div> <div style="text-align: center;">  <u>23/2/18</u> कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। </div> </div>	
16-03-18	<p>पीडाक्षीन पदाधिकारी का पंचायत मुक्त कर में व्यक्त । दिनांक 02-4-18 से रखें ।</p>	


दिधि


आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

29-10-18

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम
पत्र अनुपस्थित दिल्ली पत्र अधिवक्ता
द्वारा। उक्त वाद के 6(ई.) भाग
की आवधि पूर्ण हो चुकी है अर्थात्
वाद कालबाधित हो गया है अतः वाद
में अभिलेख की कारवाही बन्द की
जाती है।

लेखनापित एवं संशोधित


29/10/18
कार्यपालक दण्डाधिकारी
गुण्ड (रांची)

1

29/10/18
कार्यपालक दण्डाधिकारी
गुण्ड (रांची)